रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1371] नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2015/आषाढ़ 8, 1937
No. 1371] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2015/ASHADHA 8, 1937

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2015

का.आ. 1742(अ).—राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 की उप-धारा (1) के उप-खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 30 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 2645(अ) के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 अगस्त, 2013 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व पूर्ण हो चुकी या किए जाने से छूट गई चीजों को छोड़कर एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य नामित करते हैं:—

(1) श्री चंद्र कांत दास, आईएएस (सेवानिवृत्त);

(2) प्रो. गंगमुमे कामेइ, इतिहास के प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), मणिपुर विश्वविद्यालय ।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 3/27/2003-डोनर (एनईसी)]

आर. विजयकुमार, सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2015

S.O. 1742(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 3 of the North Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Development of North Eastern Region published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th August, 2013 vide number S.O. 2645(E), dated the 30th August, 2013, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby nominates the following persons as members of the North Eastern Council, for a period of three years from the date of joining or until further orders, whichever is earlier, namely :—

(1) Shri Chandra Kanta Das, IAS (Retired);

(2) Prof. Gangmumei Kamei, Prof. of History (Retired), Manipur University.

2. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/27/2003-DONER (NEC)]

R. VIJAYKUMAR, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.